

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1972/माघ 30, 1893
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1972/MAGHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रसंग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th February 1972

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March, 1972. (Amendment No. 58).*

No. 27-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year 1971-March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC (PN)/71 dated 30th April, 1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments.
1	2	3
1. 99—101	A.74.2	The existing entry (ac) may be amended to read as under :— “(ac) Insulating Paper”.
2. 102	Col. 4 A. 74.3	(a) The existing entry (j) may be deleted. (b) The existing entry (l) may be amended to read as under :— “(l) Insulating paper”.
3. 106	A. 75.5 Col. 5	The existing remarks 4 (i) and (ii) may be substituted by the following :— “4 (i) PVC Cables —8% of I.R.” “4 (ii) Telephone Coiled Cords and Switch Board Cables/Wires—20% of I.R.”.
4. 130	A.136.24 Col. 3	The existing percentage may be amended to read as 50%.
NOTE : This amendment will be applicable to exports made on or after 1-1-1972.		
5. 139—140	A.167 Col. 4	After the existing entry (e), the following new entries may be inserted :— “(f) High Carbon Steel Strips (hardened and tempered with deburred edges—Uncalibrated) (g) Stainless Steel Wire (3%). (h) Stainless Steel Strips in Width 5 mm, 9.5 mm and 13 mm (8%). (i) Precision Tubular Shoulder rivets (3%)”.
6. 157—158	B.31.1 Col. 4	After the existing entry (aq), the following new entry may be inserted :— “(ar) Pigment to international GATT No. 2509”.
7. 157—158	B. 31.1 Col. 5	The following remarks may be inserted:— “(1) Import of ‘Pigment to international GATT No. 2509’ will be allowed against export of specific paints and varnishes requiring such pigments on the recommendation of the Chemical and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta.”.
8. 187	C. 6 Col. 4	After entry (b), the following entries may be inserted :— “(c) Hexamine (20%) (d) Para Formaldehyde (20%).”
9. 188	C. 23 Col. 5	The following remark may be inserted :— “(1) Against export of products made out of Glass Fibre Reinforced with Polyester Resin, nomination may be allowed in favour of a manufacturer of Polyester Resin and Glass Fibre”.

1	2	3
10. 253	No. 1 Col. 4	(a) The existing entry (b) (xiii) may be substituted by the following :— “(b) (xiii) Hydrogen Peroxide, Sodium Perborate, formaldehyde and Sodium Alginate (15%)”. (b) After the existing entry (b) (xiv), the following may be inserted “(b) (xv) Caustic Soda and Soda Ash (20%). (b) (xvi) Paraffin Wax (10%)”.

3. The entry “Motor Car racks/carriers” is classifiable under the product group “A ENGINEERING GOODS” and fall under serial number A. 9.1. This may be inserted alphabetically at the appropriate place in the index of the above Red Book under the said Product Group.

M. M. SEN,

Chief Controller of Import and Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय]

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

[नई दिल्ली 19 फरवरी 1972]

विषय :—अप्रैल 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति (संशोधन 58) ।

संख्या 27-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत अप्रैल 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिये जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिये निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जाये :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. 99—101	ए० 74.2 कालम . 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए सी) निम्न प्रकार पढ़ने के लिये संशोधित की जाये :— “(ए सी) विसवाही कागज ।”
2. 102	ए० 74.3 कालम . 4	(क) वर्तमान प्रविष्टि (अ) हटाई जाये । (ख) वर्तमान प्रविष्टि (एल) निम्न प्रकार पढ़ने के लिये संशोधित की जाये :— “(एल) विसवाही कागज ।”

	1	2	3
3	106	ए० 75.5 ----- कालम . 5	वर्तमान टिप्पणियां 4 (1) और (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायें :— “4 (1) पी बी सी केबलम—आयात संपूर्ति का 8 प्रतिशत” “4 (2) टेलीफोन कुंडलीकृत रज्जुयें और स्विच बोर्ड केवलतार—आयात संपूर्ति का 20 प्रतिशत।”
4.	130	ए० 136.24 ----- कालम . 3	वर्तमान प्रतिशतता संशोधित कर 50 प्रतिशत पढ़ जाय । टिप्पणी :—यह संशोधन 1-1-1972 को या इसके बाद में किये गये नियमों के लिये लागू होगा ।
5.	139-140	ए० 167 ----- कालम . 4	वर्तमान प्रविष्टि (ई) के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टियां निविष्ट की जायें :— “(एफ) हाई कार्बन, कार्बन इस्पात—पट्टिया (दूढ़ीभूत और मस्कारित डिबर्ड सिरों के साथ—अनकेलिब्रेटिड) (जी) जंगविरोधी इस्पात तार (3 प्रतिशत) (एच) जंगविरोधी इस्पात पट्टियां षोडाई में 5 मि० मी० 9.5 मि० मी० और 13 मि० मी० (8 प्रतिशत) (आई) प्रिंसीजन ट्यूबलर शोल्डर (रिवेट्स (3 प्रतिशत) ।
6.	157-158	बी० 31.1 ----- कालम . 5	वर्तमान प्रविष्टि (ए क्यू) के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि निविष्ट की जाये :— “(ए आर) अन्तर्राष्ट्रीय टैरिफ और व्यापार विषयक सामान्य करार सं० 2509 के लिये रजक।”
7.	157-158	बी० 31.1 ----- कालम . 5	निम्नलिखित टिप्पणियां निविष्ट की जाये :— “(1) अन्तर्राष्ट्रीय टैरिफ और व्यापार विषयक सामान्य करार सं० 2509 के लिये रजक के आयात की अनुमति विशिष्ट रोगन और वाणिज्य के निर्यात की मद्द्व जिनमें ऐसे रजकों की आवश्यकता हो रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता की संस्तुति पर दी जायेगी।”
8.	187	सी . 6 ----- कालम . 4	प्रविष्टि (बी) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की जाएं :— “(सी) हैक्सामीन (20 प्रतिशत) । (डी) पैरा फार्मलिहाइड (20 प्रतिशत) ।”

1	2	3
9.	185	सी . 25 निम्नलिखित टिप्पणी निविष्ट की जाये :— ----- “(1) पालिएस्टर रेजिन के साथ उपोद्वलित ग्लास काचम . 5 फाइबर से बनी उत्पादों के निर्यात के बक्षे पालिएस्टर रेजिन और ग्लास फाइबर के निर्माणकर्ता के नाम में नामांकन की अनुमति दी जा सकती है।”
10	253	एन० 1 (क) वर्तमान प्रविष्टि (बी) (13) निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाए :— ----- कॉलम 4 “(बी) (13) हाइड्रोजन पेरक्साइड, मोडियम पराबोरेट, फारमलडिहाइड और मोडियम एन्जीनेट (15 प्रतिशत)।” (ख) वर्तमान प्रविष्टि बी (14) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाये :— “(बी) (15) कास्टिक सोडा और मोडा ऐश (20 प्रतिशत)। (बी) (16) पैराफिन वाकम (10 प्रतिशत)।”

प्रविष्टि ‘मोटर कार रेकम/कैरियर्स’ उत्पाद ग्रुप “ए. अभियांत्रिक माल” के अन्तर्गत वर्गीकृत है और क्रम संख्या ए. 9 1 के अन्तर्गत आती है। इसको उपयुक्त रेड बुक के सूचक में उक्त उत्पाद ग्रुप के अन्तर्गत संगत स्थान पर वर्णक्रमानुसार निविष्ट किया जाय।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

